

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-03

अधिसूचना

10 फरवरी, 2026 ई0

संख्या-83/XVIII(3)/2026-03(09)2025-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा-48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि शासन की अधिसूचना सं0-661/XVIII(3)/2025-03(09)/2025 दिनांक 04 सितम्बर, 2025 द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम को सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से बन्द हो जायेगी।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	गांव का नाम
1	2	3	4
नैनीताल	नैनीताल	छः खाता	पटवाडांगर

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 83/XVIII(3)/2026-03(09)2025 Dated- February 10, 2026 for general information.

NOTIFICATION

February 10, 2026

No. 83/XVIII(3)/2026-03(09)2025--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were kept under Survey and Record Operation vide Govt. Notification No. 661/XVIII(3)2025-3(9)2025 Dated 04 September, 2025 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette:-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Nainital	Nainital	Chha khata	Patwadangar

By Order,

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,

Secretary, Revenue

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 21-02-2026, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 राजस्व/120-25-04-2026-20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)